



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-10112025-267543
CG-DL-E-10112025-267543

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4919]

नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 10, 2025/कार्तिक 19, 1947

No. 4919]

NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 10, 2025/KARTIKA 19, 1947

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 नवम्बर, 2025

(आय-कर)

का.आ. 5074(अ).— ब्रुसेल्स में 26 अप्रैल, 1993 को हस्ताक्षर किए गए, आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार और वित्तीय अपवंचन को रोकने के लिए भारत गणराज्य की सरकार तथा बेल्जियम साम्राज्य की सरकार के बीच करार और प्रोटोकॉल को संशोधित करने वाले, इस अधिसूचना के साथ संलग्न उपाबंध में यथा उल्लिखित, प्रोटोकॉल (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त संशोधन प्रोटोकॉल कहा गया है) पर 9 मार्च, 2017 को नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए गए थे ;

और, उक्त संशोधन प्रोटोकॉल के लागू होने की तारीख 26 जून, 2025 है, जो उक्त संशोधन प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 4 के पैरा 2 के अनुसार उक्त संशोधन प्रोटोकॉल को प्रभावी करने के लिए विधिक अपेक्षाओं और प्रक्रियाओं के पूरा होने की अधिसूचनाओं में से पश्चात्पूर्ति तारीख है ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 90 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निदेश देती है कि इसके उपाबंध में यथा वर्णित, उक्त संशोधन प्रोटोकॉल के सभी उपाबंध भारत संघ में प्रभावी होंगे।

[अधिसूचना सं. 160/2025/फा. सं. 505/2/1989-एफटीडी-1]

डॉ. विनय कुमार सिंह, संयुक्त सचिव

अनुलग्नक

आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार तथा वित्तीय अपवंचन को रोकने के लिए भारत गणराज्य की सरकार तथा बेल्जियम साम्राज्य की सरकार के बीच करार और प्रोटोकॉल, जिस पर ब्रुसेल्स में 26 अप्रैल, 1993 को हस्ताक्षर किये गये थे, को संशोधित करने वाला प्रोटोकॉल।

भारत गणराज्य,
एक ओर,

और

बेल्जियम साम्राज्य,
फ्लेमिश समुदाय,
फ्रेंच समुदाय,
जर्मन-भाषी समुदाय,
फ्लेमिश क्षेत्र,
वालून क्षेत्र,
ब्रुसेल्स-राजधानी क्षेत्र,
दूसरी ओर,

आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार तथा वित्तीय अपवंचन को रोकने के लिए भारत गणराज्य की सरकार तथा बेल्जियम साम्राज्य की सरकार के बीच करार तथा प्रोटोकॉल, जिस पर ब्रुसेल्स में 26 अप्रैल, 1993 को हस्ताक्षर किये गये थे और जो 1 अक्तूबर, 1997 को प्रभावी हुआ था (इसके बाद इसे "करार" कहा गया है) को संशोधित करने के लिए एक प्रोटोकॉल (इसके बाद इसे "संशोधनकारी प्रोटोकॉल" कहा गया है) निष्पन्न करने की इच्छा से;

इस प्रकार सहमत हुए हैं:

अनुच्छेद 1

1. इस करार के अनुच्छेद 3 (सामान्य परिभाषाएं) के पैरा 1, (घ) का लोप किया जाएगा और निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा:

"(घ) "सक्षम प्राधिकारी" शब्द से अभिप्रेत है:

- भारत के मामले में, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग), केन्द्र सरकार अथवा उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि, और
- बेल्जियम के मामले में, जैसा भी मामला हो, संघीय सरकार के वित्त मंत्री तथा/अथवा किसी क्षेत्र तथा/अथवा समुदाय की सरकार, अथवा उसका प्राधिकृत प्रतिनिधि;"

2. इस करार के अनुच्छेद 3 के पैराग्राफ 1 के उप पैरा (अ) के बाद निम्नलिखित उप-पैरा (ट) जोड़ा जायेगा:

“(ट) पद “आपराधिक कर मामलों” का तात्पर्य जानबूझ कर किए आचार से संबंधित मामले हैं, चाहे उन्हें इस समझौते के प्रवृत्त होने से पूर्व अथवा बाद में किया गया हो, जिन पर आवेदक पक्ष के आपराधिक कानूनों तथा/अथवा कर विधानों के अंतर्गत मुकदमा चलाया जाना हो।”

अनुच्छेद 2

इस करार के अनुच्छेद 26 (सूचनाओं का आदान-प्रदान) का लोप कर दिया जाएगा और उसे निम्नलिखित अनुच्छेद से प्रतिस्थापित किया जाएगा:

"अनुच्छेद 26

सूचनाओं का आदान-प्रदान

1. संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी ऐसी सूचना (दस्तावेजों अथवा दस्तावेजों की अधिप्रमाणित प्रतियों सहित) का आदान-प्रदान करेंगे जो कि इस करार के उपबंधों को अथवा संविदाकारी राज्यों अथवा उनके राजनैतिक उप-प्रभागों अथवा स्थानीय प्राधिकरणों की ओर से लगाए गए प्रत्येक प्रकार एवं विवरण के करों के संबंध में घरेलू कानूनों के प्रशासन अथवा प्रवर्तन को क्रियान्वित करने के लिए अनुमानतः संगत हैं, जहां तक कि उनके अधीन कराधान व्यवस्था इस करार के प्रतिकूल नहीं है। सूचना का आदान-प्रदान अनुच्छेद 1 और 2 द्वारा प्रतिबंधित नहीं है।
2. संविदाकारी राज्य द्वारा पैराग्राफ 1 के अंतर्गत प्राप्त की गई कोई सूचना उस राज्य के आंतरिक कानूनों के अंतर्गत प्राप्त सूचना के समान ही गुप्त समझी जाएगी और उसे केवल उन व्यक्तियों अथवा प्राधिकारियों (न्यायालय और प्रशासनिक निकाय शामिल हैं) को प्रकट किया जाएगा, जो पैराग्राफ 1 में उल्लिखित करों के संबंध में करों के निर्धारण अथवा उनकी वसूली करने, उनके प्रवर्तन अथवा अभियोजन के संबंध में अपीलों का निर्धारण करने या उपर्युक्त की चूक से संबद्ध हो। ऐसे व्यक्ति या प्राधिकारी सूचना का उपयोग केवल ऐसे ही प्रयोजन के लिए करेंगे। वे इस सूचना को सार्वजनिक न्यायालय की कार्यवाहियों अथवा न्यायिक निर्णयों में प्रकट कर सकेंगे। भले ही पूर्वोक्त सूचनाओं में कुछ भी कहा गया हो, संविदाकारी राज्य द्वारा प्राप्त की गई सूचनाएं दूसरे प्रयोजनों के लिए प्रयोग की जा सकती हैं, जब ऐसी सूचनाओं का प्रयोग दोनों राज्यों के कानूनों के तहत ऐसे अन्य प्रयोजनों के लिए किया जा सकता हो तथा ऐसे प्रयोग के लिए आपूर्तिकर्ता राज्य के सक्षम प्राधिकारी ने प्राधिकृत किया हो।
3. किसी भी स्थिति में पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंधों का अर्थ किसी संविदाकारी राज्य पर निम्नलिखित दायित्व डालना नहीं होगा:
 - क) उस अथवा दूसरे संविदाकारी राज्य के कानूनों और प्रशासनिक प्रथा से हटकर प्रशासनिक उपाय करना;
 - ख) ऐसी सूचनाओं की आपूर्ति करना जो उस अथवा दूसरे संविदाकारी राज्य के कानूनों के अंतर्गत अथवा प्रशासन की सामान्य स्थिति में प्राप्य नहीं है;

- ग) ऐसी सूचना की सप्लाई करना जिससे कोई व्यापार, कारोबार, औद्योगिक, वाणिज्यिक अथवा व्यावसायिक भेद अथवा व्यापार प्रक्रिया अथवा सूचना प्रकट होती हो, जिसको प्रकट करना सार्वजनिक नीति के प्रतिकूल हो (आर्डर पब्लिक)।
4. इस अनुच्छेद के अनुसरण में यदि किसी संविदाकारी राज्य द्वारा किसी जानकारी को प्राप्त करने के लिए अनुरोध किया जाता है तो दूसरा संविदाकारी राज्य अनुरोध की गई जानकारी को प्राप्त करने के लिए अपनी सूचना एकत्र करने वाले उपायों का उपयोग करेगा, चाहे दूसरे राज्य को अपने स्वयं के कर प्रयोजनों के लिए ऐसी सूचना की कोई आवश्यकता न हो। पिछले वाक्य में अन्तर्निहित दायित्व पैराग्राफ 3 की सीमाओं के अधीन है, किन्तु किसी भी स्थिति में ऐसी सीमाओं का यह अर्थ नहीं होगा कि संविदाकारी राज्य केवल इसलिए सूचना की आपूर्ति करने से मना करते हैं कि ऐसी सूचना में उसका कोई आंतरिक हित नहीं है।
5. किसी भी स्थिति में पैराग्राफ 3 के उपबंधों का अर्थ केवल इसलिए सूचना की आपूर्ति करने से मना करने के लिए किसी संविदाकारी राज्य को अनुमति देने के लिए नहीं लगाया जाएगा कि सूचना किसी बैंक, अन्य वित्तीय संस्थान, किसी एजेंसी या किसी न्यासी क्षमता में कार्यरत नामिती या व्यक्ति के पास है या यह किसी व्यक्ति के स्वामित्व हित से संबंधित है।"

अनुच्छेद 3

इस करार के अनुच्छेद 27 (वसूली में सहायता और सहायता) को हटाया जाएगा और निम्नलिखित अनुच्छेद से प्रतिस्थापित किया जाएगा:

"अनुच्छेद 27

करों के संग्रहण में सहायता

1. संविदाकारी राज्य राजस्व दावों की वसूली में एक दूसरे को सहायता देंगे। यह सहायता अनुच्छेद 1 और 2 द्वारा प्रतिबंधित नहीं है। संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी इस अनुच्छेद के अनुप्रयोग की विधि परस्पर सहमति द्वारा तय कर सकते हैं।
2. इस अनुच्छेद में यथा प्रयुक्त शब्द "राजस्व दावा" का तात्पर्य संविदाकारी राज्यों, अथवा उनके राजनीतिक उप-प्रभागों अथवा स्थानीय प्राधिकरणों की ओर से लगाए गए सभी किस्म के करों और विवरण से है जिनमें ऐसी राशि से संबंधित ब्याज, प्रशासनिक दण्ड एवं वसूली अथवा संरक्षण पर लागत शामिल हैं, जहां तक उनके अंतर्गत कराधान व्यवस्था इस अभिसमय अथवा किसी अन्य साधन जिसके संविदाकारी राज्य पक्ष हैं, इसके विपरीत न हो।
3. जब किसी संविदाकारी राज्य का राजस्व दावा उस राज्य के कानूनों के अंतर्गत प्रवर्तनीय होता है और यह किसी व्यक्ति द्वारा देय होता है जो उस समय उस राज्य के कानूनों के अंतर्गत इसकी वसूली को रोक नहीं सकता, तब उस राजस्व दावे को उस राज्य के सक्षम प्राधिकारी के अनुरोध पर दूसरे संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारियों द्वारा वसूली के प्रयोजनार्थ स्वीकार किया जाएगा। उस राजस्व दावे को उस राज्य द्वारा अपने स्वयं के करों के प्रवर्तन और वसूली, मानो कि राजस्व दावा उस दूसरे राज्य का राजस्व दावा था, के लिए प्रयोज्य इसके कानूनों के उपबंधों के अनुसार उस दूसरे संविदाकारी राज्य द्वारा वसूल किया जाएगा।
4. जब किसी संविदाकारी राज्य का राजस्व दावा वह दावा है जिसके संबंध में वह राज्य, अपने कानून के अंतर्गत, इसकी वसूली को सुनिश्चित करने के लिए संरक्षण के उपाय करता है, तब उस राजस्व दावे को उस राज्य के सक्षम

प्राधिकारी के अनुरोध पर दूसरे संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारी द्वारा संरक्षण के उपाय करने के प्रयोजनार्थ स्वीकार कर लिया जाएगा। वह दूसरा राज्य उस राजस्व दावे के संबंध में अपने कानूनों के उपबंधों के अनुसार संरक्षण के उपाय करेगा, मानो कि राजस्व दावे उस दूसरे राज्य के राजस्व दावे हों, यहां तक कि जब ऐसे उपायों का प्रयोग किया जाता है, राजस्व दावा प्रथमोल्लिखित राज्य में प्रवर्तनीय नहीं है अथवा उस व्यक्ति द्वारा देय है जिसे उसकी वसूली रोकने का अधिकार है।

5. पैराग्राफ 3 और 4 के प्रावधानों के होते हुए भी पैराग्राफ 3 अथवा 4 के प्रयोजनार्थ किसी संविदाकारी राज्य द्वारा स्वीकार किया गया दावा उस राज्य में किसी समय सीमा के अध्यक्षीन नहीं होगा अथवा उसी रूप में उसे इसके स्वरूप के कारण उस राज्य के कानूनों के अंतर्गत किसी राजस्व दावे के प्रयोज्य कोई प्राथमिकता नहीं दी जाएगी। इसके अलावा, पैराग्राफ 3 अथवा 4 के प्रयोजनार्थ किसी संविदाकारी राज्य द्वारा स्वीकार किए गए राजस्व दावे को उस राज्य में दूसरे संविदाकारी राज्य के कानूनों के अंतर्गत उस राजस्व दावे के प्रयोज्य कोई प्राथमिकता नहीं होगी।
6. किसी संविदाकारी राज्य के राजस्व दावे के अस्तित्व, वैधता अथवा राशि के संबंध में कार्यवाही को किसी दूसरे संविदाकारी राज्य के न्यायालयों अथवा प्रशासनिक निकायों के समक्ष नहीं लाया जाएगा।
7. जहां पैराग्राफ 3 अथवा 4 के तहत किसी संविदाकारी राज्य द्वारा अनुरोध किए जाने के पश्चात् किसी समय और दूसरे संविदाकारी राज्य द्वारा संबंधित राजस्व दावे को वसूल करने और प्रथमोल्लिखित राज्य में प्रेषित करने से पहले संबंधित राजस्व दावा वहां निम्नलिखित के संबंध में समाप्त हो जाएगा:
 - क) पैराग्राफ 3 के अंतर्गत अनुरोध के मामले में, प्रथमोल्लिखित राज्य का कोई राजस्व दावा जो उस राज्य के कानूनों के तहत प्रवर्तनीय है और ऐसे व्यक्ति द्वारा देय है जो उस समय उस राज्य के कानूनों के अंतर्गत इसकी वसूली रोक नहीं सकता; अथवा
 - ख) पैरा 4 के अंतर्गत किए गए अनुरोध के मामले में, प्रथम-उल्लिखित सरकार की ऐसी राजस्व हकदारी जिसके संबंध वह सरकार, अपने कानूनों के अंतर्गत उसका संग्रहण सुश्रिचित करने के लिए बचाव हेतु उपाय करती है तो, प्रथम-उल्लिखित सरकार का सक्षम प्राधिकारी इस तथ्य के संबंध में दूसरी सरकार के सक्षम प्राधिकारी को तत्परता से सूचित करेगा तथा, दूसरी सरकार के विकल्प पर; प्रथम-उल्लिखित सरकार अपने अनुरोध को या तो निलंबित कर देगी या वापस ले लेगी।
8. इस अनुच्छेद के किसी भी प्रावधान का अर्थ दोनों में से किसी संविदाकारी राज्य पर निम्नलिखित के लिए बाध्यता लागू करना नहीं लगाया जाएगा:
 - क) उस अथवा दूसरे संविदाकारी राज्य के कानूनों और प्रशासनिक प्रथा से हटकर प्रशासनिक उपाय करना;
 - ख) ऐसे उपाय करना जो लोक नीति (आर्डर पब्लिक) के विपरीत हों;
 - ग) सहायता प्रदान करना यदि दूसरे संविदाकारी राज्य ने इसके कानूनों अथवा प्रशासनिक प्रथा के अंतर्गत उपलब्ध वसूली अथवा संरक्षण, जैसा भी मामला हो, के सभी समुचित उपायों को न किया हो;

घ) उन मामलों में सहायता प्रदान करना जहां उस राज्य के लिए प्रशासनिक बोझ दूसरे संविदाकारी राज्य द्वारा उद्भूत किए जाने वाले लाभ से स्पष्ट रूप से अनुपातहीन हो।"

अनुच्छेद 4

1. संविदाकारी राज्यों की सरकारें एक दूसरे को राजनयिक माध्यमों के जरिए अधिसूचित करेंगे कि इस संशोधनकारी प्रोटोकॉल को लागू करने के लिए सभी कानूनी अपेक्षाएं एवं क्रियाविधियां पूरी कर ली गयी हैं।
2. यह संशोधनकारी प्रोटोकॉल, जो इस करार का अभिन्न अंग होगा, पैराग्राफ 1 में उल्लिखित अधिसूचनाओं में से बाद वाली अधिसूचना की तारीख को प्रवृत्त होगा, तथा इसके प्रावधान निम्नलिखित पर प्रभावी होंगे:

क) उस तारीख को, आपराधिक कर मामलों के लिए; और

ख) उस तारीख को अनुच्छेद 1, 2 तथा 3 में शामिल अन्य सभी मामलों के लिए, परन्तु केवल उस कराधेय अवधि के संबंध में जो उस तारीख अथवा उसके बाद आरंभ होती हो, अथवा ऐसे मामले जिनमें कोई कराधेय अवधि नहीं हो, उस तारीख को अथवा उसके बाद उत्पन्न सभी कर प्रभारों के संबंध में।

जिसके साक्ष्य में अपनी संबंधित सरकारों द्वारा इसके लिए विधिवत रूप से प्राधिकृत होकर, अधोहस्ताक्षरी ने इस संशोधनकारी प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए।

नई दिल्ली में 9 मार्च 2017 तारीख को हिन्दी, फ्रेंच, डच और अंग्रेजी भाषाओं में दो प्रतियों में निष्पादित, सभी पाठ समान रूप से प्रामाणिक। पाठों के बीच भिन्नता की स्थिति में, अंग्रेजी पाठ प्रवर्तनशील होगा।

भारत गणराज्य के लिए:

बेल्जियम साम्राज्य के लिए:

फ्लेमिश समुदाय के लिए:

फ्रेंच समुदाय के लिए:

जर्मन-भाषी समुदाय के लिए:

फ्लेमिश क्षेत्र के लिए:

वालून क्षेत्र के लिए:

ब्रुसेल्स-राजधानी क्षेत्र के लिए:

(सुशील चंद्रा)

अध्यक्ष, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

(यन लक्स)

भारत में बेल्जियम के राजदूत

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)
NOTIFICATION

New Delhi, the 10th November, 2025

(Income-Tax)

S.O. 5074(E).—Whereas, the Protocol, amending the Agreement and the Protocol between the Government of the Republic of India and the Government of the Kingdom of Belgium for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income, signed at Brussels on the 26th April, 1993, was signed at New Delhi on the 9th March, 2017, as set out in the Annexure appended to this notification (hereinafter referred to as the said Amending Protocol);

And whereas the date of entry into force of the said Amending Protocol is the 26th June, 2025, being the date of the later of the notifications of the completion of the legal requirements and procedures for giving effect to the said Amending Protocol in accordance with paragraph 2 of Article 4 of the said Amending Protocol;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 90 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby directs that all the provisions of the said Amending Protocol, as set out in the Annexure hereto, shall be given effect to in the Union of India.

[Notification No. 160/2025/F. No. 505/2/1989-FTD-I]

Dr. VINAY KUMAR SINGH, Jt. Secy.

ANNEXURE

**PROTOCOL AMENDING THE AGREEMENT AND THE PROTOCOL BETWEEN THE
GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDIA AND THE GOVERNMENT OF THE
KINGDOM OF BELGIUM FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE
PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME,
WHICH WERE SIGNED AT BRUSSELS ON 26TH APRIL 1993**

The Republic of India,
on the one hand,

and

the Kingdom of Belgium,
the Flemish Community,
the French Community,

the German-speaking Community,
the Flemish Region,
the Walloon Region,
and the Brussels-Capital Region,
on the other hand;

Desiring to conclude a Protocol (hereinafter referred to as “Amending Protocol”) amending the Agreement and the Protocol between the Government of the Republic of India and the Government of the Kingdom of Belgium for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with respect to Taxes on Income, which were signed at Brussels on 26th April, 1993 and which entered into force on 1st October, 1997 (hereinafter referred to as “the Agreement”);

Have agreed as follows:

ARTICLE 1

1. Paragraph 1, (d) of Article 3 (General definitions) of the Agreement shall be deleted and replaced by the following:

“(d) the term “competent authority” means:

- in the case of India, the Central Government in the Ministry of Finance (Department of Revenue) or their authorised representative, and
- in the case of Belgium, as the case may be, the Minister of Finance of the federal Government and/or of the Government of a Region and/or of a Community, or his authorised representative;”

2. The following sub-paragraph (k) shall be inserted after sub-paragraph (j) of paragraph 1 of Article 3 of the Agreement :

“(k) the term “criminal tax matters” means tax matters involving intentional conduct, whether before or after the entry into force of this Agreement, which is liable to prosecution under the criminal laws and/or the tax laws of the applicant Party.”

ARTICLE 2

Article 26 (Exchange of Information) of the Agreement shall be deleted and replaced by the following Article:

“Article 26

EXCHANGE OF INFORMATION

1. The competent authorities of the Contracting States shall exchange such information (including documents or certified copies of the documents) as is foreseeably relevant for carrying out the provisions of this Agreement or to the administration or enforcement of the domestic laws concerning taxes of every kind and description imposed on behalf of the Contracting States, or of their political subdivisions or local authorities, insofar as the

taxation thereunder is not contrary to the Agreement. The exchange of information is not restricted by Articles 1 and 2.

2. Any information received under paragraph 1 by a Contracting State shall be treated as secret in the same manner as information obtained under the domestic laws of that State and shall be disclosed only to persons or authorities (including courts and administrative bodies) concerned with the assessment or collection of, the enforcement or prosecution in respect of, the determination of appeals in relation to the taxes referred to in paragraph 1, or the oversight of the above. Such persons or authorities shall use the information only for such purposes. They may disclose the information in public court proceedings or in judicial decisions. Notwithstanding the foregoing, information received by a Contracting State may be used for other purposes when such information may be used for such other purposes under the laws of both States and the competent authority of the supplying State authorises such use.
3. In no case shall the provisions of paragraphs 1 and 2 be construed so as to impose on a Contracting State the obligation:
 - a) to carry out administrative measures at variance with the laws and administrative practice of that or of the other Contracting State;
 - b) to supply information which is not obtainable under the laws or in the normal course of the administration of that or of the other Contracting State;
 - c) to supply information which would disclose any trade, business, industrial, commercial or professional secret or trade process, or information the disclosure of which would be contrary to public policy (ordre public).
4. If information is requested by a Contracting State in accordance with this Article, the other Contracting State shall use its information gathering measures to obtain the requested information, even though that other State may not need such information for its own tax purposes. The obligation contained in the preceding sentence is subject to the limitations of paragraph 3 but in no case shall such limitations be construed to permit a Contracting State to decline to supply information solely because it has no domestic interest in such information.
5. In no case shall the provisions of paragraph 3 be construed to permit a Contracting State to decline to supply information solely because the information is held by a bank, other financial institution, nominee or person acting in an agency or a fiduciary capacity or because it relates to ownership interests in a person.”

ARTICLE 3

Article 27 (Aid and Assistance in Recovery) of the Agreement shall be deleted and replaced by the following Article:

“Article 27

Assistance in the Collection of Taxes

1. The Contracting States shall lend assistance to each other in the collection of revenue claims. This assistance is not restricted by Articles 1 and 2. The competent authorities of the Contracting States may by mutual agreement settle the mode of application of this Article.
2. The term “revenue claim” as used in this Article means an amount owed in respect of taxes of every kind and description imposed on behalf of the Contracting States, or of their political subdivisions or local authorities, insofar as the taxation thereunder is not contrary to this Convention or any other instrument to which the Contracting States are parties, together with interest, administrative penalties and costs of collection or conservancy related to such amount.
3. When a revenue claim of a Contracting State is enforceable under the laws of that State and is owed by a person who, at that time, cannot, under the laws of that State, prevent its collection, that revenue claim shall, at the request of the competent authority of that State, be accepted for purposes of collection by the competent authority of the other Contracting State. That revenue claim shall be collected by that other State in accordance with the provisions of its laws applicable to the enforcement and collection of its own taxes as if the revenue claim were a revenue claim of that other State.
4. When a revenue claim of a Contracting State is a claim in respect of which that State may, under its law, take measures of conservancy with a view to ensure its collection, that revenue claim shall, at the request of the competent authority of that State, be accepted for purposes of taking measures of conservancy by the competent authority of the other Contracting State. That other State shall take measures of conservancy in respect of that revenue claim in accordance with the provisions of its laws as if the revenue claim were a revenue claim of that other State even if, at the time when such measures are applied, the revenue claim is not enforceable in the first-mentioned State or is owed by a person who has a right to prevent its collection.
5. Notwithstanding the provisions of paragraphs 3 and 4, a revenue claim accepted by a Contracting State for purposes of paragraph 3 or 4 shall not, in that State, be subject to the time limits or accorded any priority applicable to a revenue claim under the laws of that State by reason of its nature as such. In addition, a revenue claim accepted by a Contracting State for the purposes of paragraph 3 or 4 shall not, in that State, have any priority applicable to that revenue claim under the laws of the other Contracting State.

6. Proceedings with respect to the existence, validity or amount of a revenue claim of a Contracting State shall not be brought before the courts or administrative bodies of the other Contracting State.
7. Where, at any time after a request has been made by a Contracting State under paragraph 3 or 4 and before the other Contracting State has collected and remitted the relevant revenue claim to the first-mentioned State, the relevant revenue claim ceases to be
 - a) in the case of a request under paragraph 3, a revenue claim of the first-mentioned State that is enforceable under the laws of that State and is owed by a person who, at that time, cannot, under the laws of that State, prevent its collection, or
 - b) in the case of a request under paragraph 4, a revenue claim of the first-mentioned State in respect of which that State may, under its laws, take measures of conservancy with a view to ensure its collection, the competent authority of the first-mentioned State shall promptly notify the competent authority of the other State of that fact and, at the option of the other State, the first-mentioned State shall either suspend or withdraw its request.
8. In no case shall the provisions of this Article be construed so as to impose on a Contracting State the obligation:
 - a) to carry out administrative measures at variance with the laws and administrative practice of that or of the other Contracting State;
 - b) to carry out measures which would be contrary to public policy (ordre public);
 - c) to provide assistance if the other Contracting State has not pursued all reasonable measures of collection or conservancy, as the case may be, available under its laws or administrative practice;
 - d) to provide assistance in those cases where the administrative burden for that State is clearly disproportionate to the benefit to be derived by the other Contracting State.”

ARTICLE 4

1. The Governments of the Contracting States shall notify each other through diplomatic channels that all legal requirements and procedures for giving effect to this Amending Protocol have been satisfied.
2. The Amending Protocol, which shall form an integral part of the Agreement, shall enter into force on the date of the later of the notifications referred to in paragraph 1 and its provisions shall have effect :
 - a) for criminal tax matters, on that date; and
 - b) for all other matters covered in Articles 1, 2 and 3, on that date, but only in respect of taxable periods beginning on or after that date or, where there is no taxable period, all charges to tax arising on or after that date.

In witness whereof the undersigned, duly authorised thereto by their respective Governments, have signed this Amending Protocol.

Done in duplicate at New Delhi on this 9th day of March, 2017 in the Hindi, French, Dutch and English languages, all texts being equally authentic. In case of divergence between the texts, the English text shall be the operative one.

For the Republic of India:

For the Kingdom of Belgium:

For the Flemish Community:

For the French Community:

For the German-speaking Community:

For the Flemish Region:

For the Walloon Region:

For the Brussels-Capital Region:

(Sushil Chandra)

Chairman, Central Board of Direct Taxes

(Jan Luykx)

Ambassador of Belgium to India